कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 543/175/आउशि/शा–5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 29/07/20

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश ।

2. कुलसचिव,
समस्त पारम्परिक/पाणिनी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश.

3. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश.

विषय– सत्र 2020–21 की ऑनलाईन ई–प्रवेश प्रकिया के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ– प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्वान्त सत्र 2020–21.

—0—

सत्र 2020–21 के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आरम्भ की जा रही ई–प्रवेश प्रकिया में शामिल होने वाले 12वीं उत्तीर्ण पात्र प्रवेशार्थियों के लिए निम्नलिखित जानकारी यथा पूर्व उपलब्ध कराने के लिए यह निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जिससे प्रवेशार्थी प्रवेश प्रकिया आरम्भ होने के पूर्व से ही अपने आवश्यक दस्तावेजों का संधारण आदि कर प्रवेश प्राप्ति के लिए पूर्व तैयारी कर सके तथा कोरोना (कोविड–19) के संकमण से बचाव व संरक्षण के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेशार्थियों को दी जा रही सुविधा से भी अवगत हो सकें।

2. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हताकारी परीक्षा एम.पी.बोर्ड/ सी.बी.एस.सी. बोर्ड एवं ओपन बोर्ड से उत्तीर्ण आवेदकों का डेटा एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन सत्यापित किया जाएगा। एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन सत्यापित आवेदकों को सत्यापन या प्रवेश के लिए महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. पंजीयन पश्चात् ऐसे आवेदक जिनके पंजीयन फार्म का ऑनलाइन सत्यापन नहीं हुआ है, केवल उन्हें ही अथवा उनके अभिभावकों द्वारा दस्तावेजों का अनिवार्यतः सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर कराना होगा। ऑनलाइन सत्यापन होने का उल्लेख पंजीयन के प्रिन्ट आउट पर किया जाएगा।

4. आवेदकों को अपने दस्तावेजों (अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, संवर्ग प्रमाण–पत्र, ओ.बी.सी. के लिये कीमी–लेयर में न होने का प्रमाण–पत्र, स्थानीय निवासी हेतु स्व–प्रमाणित घोषणा–पत्र, एन. एस. एस./एन.सी.सी./कीड़ा/साहित्यक/सांस्कृति गतिविधियों के प्रमाण–पत्र इत्यादि) जिसके आधार पर प्रवेश के लिए अधिभार देय हो, का सत्यापन कराना होगा। सत्र 2020–21 की प्रवेश–प्रकिया में कोविड–19 की रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है कि आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क का भुगतान ई–प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल विकल्पों का उपयोग करते हुए समय–सारिणी अनुसार निर्धारित तिथि तक भुगतान कर सकेंगे, इस हेतु महाविद्यालय में उपस्थित होकर लिंक इनीसिएट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक को जिस पाठ्यकम में प्रवेश लेने के लिए आवंटन पत्र जारी किया गया है, उस पाठ्यकम के लिए संबंधित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क ऑनलाईन प्रवेश के समय तथा शेष शुल्क दो किश्तों में संबंधित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में अध्ययन के लिए महाविद्यालय में उपस्थित होने पर डिजिटल माध्यम से जमा कराना अनिवार्य होगा।

निरन्तर...2,

5. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत प्रवेश : मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के तहत् किया जाता है। योजनान्तर्गत निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं:–

योजना का नाम	आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	• मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। • 12वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 70 प्रतिशत एवं सीबीएसई/आईसीएलसी से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों। • पिता/पालक की वार्षिक आय रू. 6.00 लाख से कम हो।	राज्य शासन के सभी महाविद्यालय / अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय जिनमें बी.एससी, बी.ए., बी. कॉम, तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।	• पोर्टल **http://Scholarshipportal.mp.nic.in** पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा। • प्रवेश निःशुल्क होगा।

6. मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना :–

योजना का नाम	आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना	• श्रम सेवा के पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतान हो। • शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हो।	शैक्षणिक शुल्कों ((कॉशन मनी एवं मैस शुल्क छोड़कर) से पूर्ण छूट ।	• प्रवेश के समय विद्यार्थी अपने माता–पिता का पंजीयन कार्ड सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा या सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल **www.shramsewa.mp.gov.in** से सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरान्त प्रवेश लेते समय ऐसे विद्यार्थियों से प्रवेश हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा।

निरन्तर...3,

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2020–21 हेतु केन्द्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः कराना होगा। ई–प्रवेश प्रक्रिया एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से संचालित की जाएगी। प्रवेश संबंधी सम्पूर्ण जानकारी पोर्टल (https://epravesh.mponline.gov.in) पर उपलब्ध है।

अतः सत्र 2020–21 के लिए उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त में अंकित दिशा–निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। (आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

29/7/20

(डॉ0 धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल.

पृ.कमांक 564/175/आउशि/शा.5'अ'/2020 भोपाल दिनांक 29/07/20

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक,माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
2. निज सहायक,प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल (म.प्र.)
3. निज सहायक, आयुक्त,उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुड़ा भवन,भोपाल।
4. सी.ई.ओ. एम.पी. ऑनलाइन, 4 मंजिल डी.बी.सिटी कारपोरेट ऑफिस, भोपाल ।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (आई.टी.) उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल.